

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 15.07.2017 जनपद हमीरपुर-

पुलिस अधीक्षक महोदय श्री दिनेश कुमार पी के निर्देशन मे जनपद हमीरपुर मे दिनांक- 14.07.2017 को कानून व्यवस्था,अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये गये अभियानो मे निम्नलिखित कार्यवाहियाँ की गयी ।

-अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

-दिनांक 14.07.2017 को थाना सुमेरपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त अजय पुत्र संतोष चौबे निवासी रितेरा थाना नरैनी को चंदपुरवा से गिरफ्तार किया अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद नाजायज तमंचा 315 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। इस प्रकरण मे अभियुक्त के विरुद्ध थानाहाजा मे मु0अ0स0-279/17धारा-3/25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी।

-02 अभियुक्त के विरुद्ध गुण्डा एक्ट की कार्यवाही-

-दिनांक 14.07.2017 को थाना सुमेरपुर द्वारा अभियुक्त-नीरज पुत्र हनुमान निवासी धर्मेश्वर एवं शैलेन्द्र पुत्र राजेश पाल निवासी पचखुरा महान की आपराधिक प्रवृत्ति को देखते हुये अभियुक्त के विरुद्ध थानाहाजा मे मु0अ0स0-280/17,281/17,धारा-3 UP गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी ।

-03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

-दिनांक-14.07.2017 को थाना राठ पुलिस द्वारा मु0अ0स0 150/17-धारा-363/366/376 भादवि व् 04 पास्को एक्ट के वांछित अभियुक्त 1.उमाशंकर पुत्र मूलचन्द्र निवासी टोलाखंगारन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

-दिनांक-14.07.2017 को थाना राठ पुलिस द्वारा मु0अ0स0 233/17-धारा-452/323/504/506 भादवि व् sc/st एक्ट के वांछित अभियुक्त यासीन पुत्र अजीज निवासी पठानपुरा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

-दिनांक-14.07.2017 को थाना मुस्करा पुलिस द्वारा मु0अ0स0 1137/17-धारा-363/366/376/504/506 भादवि व् 04 पास्को एक्ट के वांछित अभियुक्त 1.श्रीमती शान्ति पत्नि बन्टोली निवासी इमलिया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

प्रेस विज्ञप्ति वाहन चेक दिनांक- 15.07.2017 जनपद हमीरपुर

जनपद हमीरपुर.... दिनांक 14.07.2017 को पुलिस अधीक्षक महोदय श्री दिनेश कुमार पी के आदेशानुसार यातायात व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जनपद के समस्त थानों में दो पहिया व चार पहिया वाहनो का सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग अभियान में हैलमैट,डी.एल ,वीमा, व आवश्यक कागजो का ना होना, तीन सवारी, अवैध नम्बर प्लेट,सीट बैल्ट ना लगाना,ओवरलोडिंग आदि के खिलाफ कार्यवाही की गयी ।चेकिंग अभियान में समस्त थानों से चेक किये वाहनो में 31 वाहनो से 11,700 रु0 सम्मन शुल्क वसूला गया ।